08/4/21	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष हाजिर। वकील उभय पक्ष बहस सुनी जायी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस मे बताया कि ग्राम कानरखेड़ा मे आ० न० 270, 271 व 272 प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे काश्त की है। प्रार्थी की आराजियात के पास ही अप्रार्थी की आ० न० 265 स्थित है। हाल ही में सेटलमेन्ट कर्मचारियो ने साबिक नक्शा अनुसार रेखांकित नही कर प्रार्थी की आराजी के उतरी दिशा की तरफ ग्राम रोड व प्रार्थी की आराजी के बीच में अप्रार्थी की आ० न० 265 की जमीन को रेखांकित कर दिया जो गलत है। जबकि प्रार्थी की आराजी ग्राम रोड से लगकर थोहर बाड़ लगी हुई है। नक्शा ट्रेस मे सेटलमेन्ट कर्मचारियो ने गलत इन्द्राज कर दिया है। प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र मे दस्तावेजात के रुप मे नकल जमाबंदी फोटो प्रति खाता संख्या-170, नकल जमाबंदी खाता संख्या-34, नकल नक्शा ट्रेस हाल, नकल नक्शा ट्रेस साबिक व नकल मिलान शीट पेश की। वकील अप्रार्थी ने जवाब को ही बहस मानने का निवेदन किया। हमने वकील उभय पक्ष की बहस एवं पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन व मनन किया। अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनो बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष मे सिद्ध होती है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा-212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार योग्य होने से कारण स्वीकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.04.16 16:06:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	किया जाता है तथा दिनांक 04.09.2012 को मौजा कानरखेड़ा तहसील भूपालसागर में स्थित वादग्रस्त आराजियात आ० नं० 270,272,272 के समीप स्थित आ०नं० 265 रकबा 0.55 हैक्टेयर की राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बाबत जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है। प्रार्थी वादग्रस्त आराजी के रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 08.4.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (हस्ताक्षर) 08.4.21 सहायक क...टर एवं उपखण्ड अधि... ...पालसागर जिला-चि... ...ज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.04.16 16:06:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner